

अजमेर अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

2023/225R70

वीरम बनाम ईश्वर लाल

हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुक्म की तामील
जागी हुए

2023/396

नम्बो. 01 ले 18, 223

श्री अजीत सिंह राठौर श्री

GA-2022

वीरम वगैरह बनाम ईश्वर लाल वगैरह (376/2023)

10/24

पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक अपीलांट एवं राजकीय अभिभाषक उपस्थित। अभिभाषक अपीलांट के निवेदन पर उनको दिनांकित 21.08.2024 को प्रस्तुत मार्थना-पत्र वास्तो सारहीन होने से अपील निरस्त किये जाने बाबत अपील पर सुना गया। अभिभाषक अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पुष्कर के आदेश दिनांक 05.07.2024 की फोटो प्रति प्रस्तुत कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पुष्कर के समक्ष दिनांक 05.07.2024 को मूल वाद संख्या 56/2023 बनवानी वीरम बनाम ईश्वर लाल को खारिज कर दिया है, इसलिए अपील सारहीन हो चुकी है खारिज की जावें।

अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पुष्कर के समक्ष मूल वाद-पत्र दिनांक 05.07.2024 को खारिज किया जा चुका है। चूंकि उक्त अपील अन्तर्गत धारा 225 राज.काश्तकारी अधिनियम की है, जो मूल वाद-पत्र के निस्तारण हो जाने से सारहीन हो चुकी है।

अतः अपील अपीलांटस सारहीन होने से खारिज की जाती है। पत्रावली फौसलशुगार होकर नम्बर से कम हो।

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर